



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 53 ग्राम अफीम व 600 अल्प्राजोलम टेबलेट सहित कुल 02

अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 01.12.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस को सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर व लहरपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से कुल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनसे कुल 53 ग्राम अवैध अफीम व 600 अल्प्राजोलम टेबलेट सहित चोरी के 2,000/-रुपये बरामद हुए हैं। नशीले पदार्थों की बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध NDPS ACT के तहत अभियोग पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

➤ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 53 ग्राम अफीम सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फहीम उर्फ शालू उर्फ सुल्तान पुत्र रहीस उर्फ बबलू निवासी नई आबादी गदियाना थाना कोतवाली नगर सीतापुर को 53 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया गया है। अफीम बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 622/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

● आपराधिक इतिहास अभियुक्त फहीम उर्फ शालू उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 352/21 धारा 307/394/411/452 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 445/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 1273/17 धारा 380/411/457 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 1259/17 धारा 147/148/504/506 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 676/22 धारा 8/18 एनडीपीएसएक्ट थाना कोतवाली नगर हरदोई।
6. मु0अ0सं0 622/22 धारा 8/18 एनडीपीएसएक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर।

➤ थाना लहरपुर पुलिस द्वारा 600 अल्ट्राजोलम टेबलेट व चोरी गए 2,000/- रूपयों सहित अभियुक्त गिरफ्तार- थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0स0 702/22 धारा 457/380/411 भादवि, मु0अ0सं0 103/22 धारा 380 भा.द.वि व मु0अ0स0 712/22 धारा 401 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुएब पुत्र चन्दा निवासी मोहल्ला जमा टोला थाना लहरपुर सीतापुर को 600 नशीली अल्ट्राजोलम टेबलेट सहित अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये 2,000/-रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थ की बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 770/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

● आपराधिक इतिहास अभि0 फहीम उर्फ शालू उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 702/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 2.मु0अ0स0 103/22 धारा 380 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 3.मु0अ0स0 712/22 धारा 401 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 4.मु0अ0स0 770/22 धारा 8/22 NDPS ACT थाना लहरपुर सीतापुर



